

/// विविध आदेश ///

क्रमांक 21 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 02/09/2025

न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-203ए/2015 शारदा उर्फ ललई चौधरी वि० शिव प्रताप सिंह निर्णय दिनांक-27.10.2015 की न्यायालय से उद्भूत विविध व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-213/2017 मनीषा सिंह वि शारदा उर्फ ललई एवं अन्य तथा विविध व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-248/2017 मनीषा सिंह वि० शारदा उर्फ ललई एवं अन्य से संबंधित होने क फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दिलीप माहोर, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में लंबित विविध व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-213/2017 मनीषा सिंह वि शारदा उर्फ ललई एवं अन्य तथा विविध व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-248/2017 मनीषा सिंह वि० शारदा उर्फ ललई एवं अन्य को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री पन्ना नागेश, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र० 4341 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 02/09/2025

प्रतिलिपि:-

1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
2. नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
की ओर विविध व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-213/2017 मनीषा सिंह वि शारदा उर्फ ललई एवं अन्य तथा विविध व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-248/2017 मनीषा सिंह वि० शारदा उर्फ ललई एवं अन्य अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
5. जे०प्र०स०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)